

सं. 14036/339/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 4/5/2013

सेवा में

पुलिस उपायुक्त
लोक सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट,
नई दिल्ली।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दायर श्री हरपाल सिंह राणा का आर टी आई आवेदन।

महोदय,

मुझे, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 11.02.2013 के ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 26.04.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है। चूंकि आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इसे उपयुक्त कार्रवाई करने तथा उपरोक्त आवेदक को सीधे सूचना प्रदान करने हेतु आपको अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने अपेक्षित शुल्क प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा कर दिया है।

संलग्नक: उपर्युक्त अनुसार।

भवदीय,

एस. सुधा

(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं

अवर सचिव (डी पी II)

दूरभाष सं. 23092856

*Issued with Encl
158 / 1369
21/5*

dc

प्रतिलिपि:

श्री हरपाल सिंह राणा, गांव-संसद कादीपुर, दिल्ली-110036 - इस उतर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधकारी का नाम और पदनाम श्री के. के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

1729/13-15A/श/3

1729/13

जन सूचना अधिकारी
प्रधानमंत्री कार्यालय
दिल्ली

PRIME MINISTER'S OFFICE
12 APR 2013
DAK/2013

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन

1. राजभाषा अधिनियम अनुसार जानकारी हिन्दी में दे।

2. जानकारी अधिक हो तो कोपी में दे।

3. पत्र को स्थानांतरित करते वक्त कृपया
देत वक्त मेरे इस आवेदन का संदर्भ क्र-13/श/म
दि-11-2-13 अवश्य लिखें इस पर ध्यान अवश्य दें।

URGENT
RTI ACT
Dist No. 8786
Date... 12/04/13
Date Recd 17/04/13
Date Disposal

4. निम्नो के अनुसार जो भी जानकारी देना सम्भव
हो वह दी जाए। या सम्बन्धित विभाग को
आवेदन स्थानांतरित कर दिया जाए।

5. 4-12-12 से लेकर 6-4-13 तक 24, अकबर रोड
कांग्रेस मुख्यालय पर ऑन श्याम रेनू पाठक के द्वारा
दिए जा रहे धरने के सम्बन्ध में निम्नलिखित
जानकारी दे। समय, दिन, राय्या नियम अनुसार अलग-अलग

6. कितने-2 दिन, कितने-2 वज, कितने-शरण्य के लिए
डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। कितने-2 कारणों से
लिया गया। कितने लोगों को लिया गया।
व उन्हें कब-2 छोड़ा गया समय/दिन अनुसार
अलग-2 जानकारी दे।

MHP

7. उपरोक्त अधि में जो गिरफ्तारी की गई या
डिटेन किया गया। (सभी दिन एक ही कारण से
नियम से किया गया या अलग-2 कारणों से किया गया)
नियम कारण व तिथि अनुसार अलग-2 जानकारी दे।

8. गिरफ्तारी या डिटेन के समय उन्हें कहां पर रखा जाता है
क्या-2 सुविधाएं दी जाती हैं। बताएं।

37 35606

हरपाल सिंह राणा
ग्राम संसद, कादीपुर, दिल्ली-36
फोन नं. 9954967800, 991123509

भवदाय